

[भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग-II, खंड 3, उप-खंड (II) में प्रकाशनार्थ]

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय

(भारी उद्योग विभाग)

नई दिल्ली, अक्टूबर 2020

अधिसूचना

विषय: सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश, 2017 - आदेश के हित को आगे बढ़ाते हुए ऑटोमोबाइल और ऑटोमोटिव घटकों को अधिसूचित करने के संबंध में

सां.आ.- भारी उद्योग विभाग एतद्वारा अधिसूचित करता है कि भारत के राजपत्र की अधिसूचना सां. आ. संख्या 5807, दिनांक 19 नवम्बर, 2018 के द्वारा प्रकाशित आदेश के हित को आगे बढ़ाते हुए ऑटोमोबाइल और ऑटोमोटिव घटकों की सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश 2017 की अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है।

[फा.सं. 12(39)/2018-ए ई आई (15446)]

अमित मेहता

अमित मेहता

संयुक्त सचिव

अमित मेहता/AMIT MEHTA
संयुक्त सचिव/Joint Secretary
भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय
Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises
भारी उद्योग विभाग/Department of Heavy Industry
भारत सरकार/Government of India
नई दिल्ली/New Delhi